

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934

No. 330]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

का.आ. 355(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मै. एसईजेड बायोटेक सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य के ग्राम मंजरी बुदरूक, तालुका हवेली, जिला पुणे में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु वाण्ज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाण्ज्य विभाग की दिनांक 29 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 651(अ), जिसमें अनुमोदन समिति का गठन किया गया है, में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात :—

सीरियल नम्बर 25 में उल्लिखित तालिका सर्वेक्षण नम्बर "107/5ए/1" के स्थान "107/5ए" पढ़ा जाए।

सीरियल नम्बर 40 में उल्लिखित तालिका सर्वेक्षण नम्बर "110ए/ए/1ए/1बी/1" के स्थान "110ए/ए/1/2" पढ़ा जाए ।

> [सं. एफ. 1/18/2011-एसईजेड] राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2013

S.O. 355(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005) and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby makes the following amendment in the notification of Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 651(E), dated 29th March, 2012 for sector specific Special Economic Zone for biotechnology at Village Manjari Budruk, Taluka Haveli, District Pune, Maharashtra by M/s. SEZ Bio-Tech Services Private Limited, namely:—

At Serial No. 25 of the table, Survey No. "107/5A/1" may be read as "107/5A"

At Serial No. 40 of the table, Survey No. "110A/A/1A/1B¹1" may be read as "110A/1A/1/2"

[No. F. 1/18/2011-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.